पत्रांक— 1/PMC/विविध/110/2021--पार्ट-III बिहार सरकार जल संसाधन विभाग

<u>आदेश</u>

जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत बाढ़ एवं सिंचाई प्रक्षेत्र से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् खंवेदक को भुगतान के क्रम में विभिन्न प्रकार के TAX की कटौतियों का प्रावधान रहता है।

2. उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की शुरूआत के साथ कर संरचना काफी जटिल हो गई है। इस कारण विभाग अंतर्गत निविदा के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों में GST Settlement करने में अनेकों कटिनाईयों का सामना करना पड़ता है। विभाग अंतर्गत GST Settlement के विषय में विशेष ज्ञान नहीं होने के कारण अनेकों मामले न्यायिक प्रक्रिया में उलझ जाते हैं।

3. इन सभी समस्याओं के निराकरण तथा नियामानुकूल भुगतान करने हेतु "Hiring of Charted Accountant of GST Claims arising from Tendered Work for WRD" कार्य के लिए नये सिरे से Agency का चयन विभागीय पत्रांक-1/PMC/विविध/110/2021-पार्ट-III-06 दिनांक-01.01.2025 के द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ एवं जल निस्सरण, अनिसाबाद, पटना को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित

किया गया। जिसके आलोक में परामर्शी के चयन की प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई। 4. दिनांक–21.03.2025 को विभागीय कन्सर्ल्टेसी मूल्यांकण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में ABV Company, chartered accountants 21/169, Unnat Nagar No.-4, Near Jain Hospital, M.G Road Goregaon (W), Mumbai-400090 को ''Hiring of Charted Accountant of GST Claims arising from Tendered Work for WRD'' कार्य के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका में उद्धृत दर के आधार पर चयन किया गया है :–

For Part-	I							
Contract Value Range	Upto 10 Crores	Upto 25 Crores	Upto 50 Crores	Upto 100 Crores	Upto 200 Crores	Upto Cro		Above 500 Crores
Auditing Charge (INR)	27,500/-	60,000/-	98,000/-	1,24,500/-	1,98,000/-	4,95,(000/-	6,50,000/-
For Part-	II	I	L	I	· · · · · ·		: ·	

X

(ख) "Settlement of GST claims arising from Tendered/Contract Work for Water Resources Department, Bihar" कार्य का Scope of Work निम्नवत् है :-

Part 1 - Understanding Policy Framework & Settlement of GST Claims.

- (i) To study the current business practices/ processes on "as-is" basis. This will include study of existing applicable taxes/ laws to WATER RESOURCES DEPARTMENT.
- (ii) To recommend, if required, any changes in the current framework of the GST settlement claims with an intention to ease the process in settlement of claims.
- (iii) Presentation on existing business processes and transactions to Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Engineer in Chief, Chief Engineer other any members as and when required.
- (iv) To analyse the costing structure of different modes of Contract (EPC, Item rate Contract, PPP/DBOT, etc.) with objective of GST calculation.
- (v) To device a mechanism to release payments to Contractors and implementation of GST circulars issued by Central bodies/other Agencies.
- (vi) To analyse the contract in individual cases for the impact of GST and VAT in the contract entered in the PRE-GST regime and also contracts awarded in post GST regime for any shortfall of tax embedded in DPR/Rate analysis & BOQ.
- (vii) To assist with Water Resource Department with the analyses and impact of GST on the terms of new contract(s) to be awarded.
- (viii) Drafting & Designing a Circular & a Format for admission of Contractor's claim, for escalation in Price or reduction as per Anti-Profiteering Clause.
- (ix) In-depth study of the costing structure of goods & services used in the contract for pre-GST & Post GST rates. It includes ongoing contracts, which were awarded in Pre- GST period.
- (x) To analyse the extent of ITC available to Contractors in individual cases vs. non creditable taxes in the Pre-GST regime.
- (xi) To recommend the total payment to be made to Contractors.
- (xii) To check the claim documentation submitted by contractors.
- (xiii) To interact with Contractors for the claim related issues raised by them and issuing clarification.
- (xiv) To issue advise / clarification regarding the claims of Contractor submitted i.e. verifying the claim by Auditing Vouchers, GST returns, other documents as required to peruse the contracts of Contractors awarded by WATER RESOURCES DEPARTMENT. It shall be conducted at the Contractor's premises or WATER RESOURCES DEPARTMENT's Office or the office premises of the appointed CA firm.
- (xv) To verify the bills submitted by Contractors in individual contracts, awarded in GST regime and ascertaining the authenticity of same.
- (xvi) Take nil claim certificate and affidavit, where there is no claim, on all the Contracts which are in execution, i.e., under process on the date of appointment



- (xvii) To verify the contracts entered and to be entered in GST regime and suggest changes in contracts, if any from GST Perspective.
- (xviii) To verify that the Contractor has paid GST to the Government treasury before releasing payment on subsequent bills.
 - (xix) If any amount of GST is passed by any authority under WATER RESOURCES DEPARTMENT, the same needs to be vetted by the consultant and any excessive GST passed on shall be notified to the contractor in the manner prescribed by the consultant. The shortfall in GST claim can shall be passed on after verification by consultant, if the claims are made by contractor.
 - (xx) To verify that the invoices issued by contractors are GST Compliant Invoices.

Part 2 - Compliances of GST Laws & Circulars issued by Government

- (i) Ensuring Compliance of TDS Returns to be filed under the GST law.
- (ii) To analyse the current process followed for compliances under GST and recommending changes, if required, for ensuring timely compliances.
- (iii) To understand any changes in the GST law(s) / GST council meeting, and advise the department of impacts of such changes, if any, to the water resources department.

(iv) Assistance in all GST compliances including advisory proceedings show cause notices/ demands and other proceedings as applicable initiated by appropriate authorities including drafting/ filing of replies, stay of demand and submissions and representation, pursuing, assisting and coordinating with GST authorities for getting refunds /settle demands. Further similar assistance will also be provided in respect of service tax matters.

- (v) To provide guidance/advise for developing necessary tools for review, monitoring. reporting and compliance with reports required in GST regime and verify completeness of the data generated through the system for GST Returns.
- (vi) Keeping WATER RESOURCES DEPARTMENT informed about any changes which may take place in in GST from time to time and its impact on department.
- (vii) Extracting & collecting data of Department for payments which are made from the payment made by the Division for filing it on GST portal.
- (viii) Prepare monthly reconciliation for GST TDS.
 - (ix) Verifying the payments of GST paid by contractors on previous RA Bills paid before releasing payment on subsequent RA bills submitted.
 - (x) Recommend payment of RA bills in light of GST paid on previous bills.
 - (xi) Preparation of Monthly MIS of payment made to contractors and verification of GST paid by contractors.
 - (ग) विषयांकित कार्य के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी :--

i) अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन एवं अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना के प्रक्षेत्राधीन कार्यालयों के GST claims से संबंधित मामलों का निपटारा करने हेतु नामित नोडल पदाधिकारी एवं उनके दायित्व को तालिका-1 मे दर्शाया गया है।

0क्	पदनाम	दायित्व
1	कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाद	
	सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना	अन्तर्गत कार्यालयों के द्वारा निविदा के माध्यम से कराये गये
		कार्यो/कराये जा रहे कार्यो का GST Settlement/ Claims का
		निष्पादन ।
2	कार्यपालक अभियंता, सोन नहर	अभियंता प्रमुख, मुख्यालय एवं अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन,
	प्रमंडल, खगौल	पटना के अन्तर्गत कार्यालयों के द्वारा निविदा के माध्यम से
		कराये गये कार्यो/कराये जा रहे कार्यो का GST Settlement/
		Claims का निष्पादन।

तालिकां–1

ii) तालिका–1 के अनुसार नोडल पदाधिकारी चयनित परामर्शी के साथ नियमानुसार एकरारनामा करने की कार्रवाई करेंगे। एकरारनामा की अवधि एकरानामा की तिथि से तीन साल तक की अवधि के लिए रहेगी। परामर्शी की सेवा संतोषजनक रहने की स्थिति में विभागीय अनुमोदनोपरांत अगले तीन साल तक एक–एक साल का एकरारनामा का नवीकरण किया जा सकेगा।

iii) विषयांकित कार्य के प्रथम भाग का भुगतान संबंधित कार्य हेतु प्रावधानित Contingency मद से किया जायेगा। Contingency मद में प्रावधान नहीं रहने की स्थिति में तालिका-2 में दर्शाये गये विपत्र कोड से भुगतान किया जायेगा।

iv) विषयांकित कार्य के द्वितीय भाग के लिए भुगतान निम्नांकित शीर्ष में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किया जायेगा :--

तालिका–2

कार्यालय	विपत्र कोड
अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना	2711010010003 अंतर्गत
के अन्तर्गत सभी कार्यालयों	28.04- व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाऐं
. अभियंता प्रमुख, मुख्यालय एवं अभियंता प्रमुख, सिंचाई	2700800010006 अंतर्गत
ञ्चजन, पटना के अन्तर्गत सभी कार्यालयों के निविदाओं	28.04- व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाऐं

v) परामर्शी निष्पादित कार्यों का विपत्र नोडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। समर्पित विपत्र को नोडल पदाधिकारी जाँच कर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए भाग–2 का भुगतान अपने प्रमंडल द्वारा सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु नोडल पदाधिकारी द्वारा भाग–2 से संबंधित विपत्रों का भुगतान हेतु कंडिका–4 (ग)(iv) में दिए गए विपत्र कोड में विभाग से आवंटन की अधियाचना की जायेगी।

vi) परामर्शी द्वारा Security Deposit के रूप में 20 (बीस) लाख रूपये जमा किया जायेगा। एकरारनामा करते समय परामर्शी द्वारा तालिका–1 में नामित दोनो नोडल पदाधिकारी को Security Deposit के रूप में 10–10 (दस–दस) लाख रूपये जमा किया जायेगा। Security Deposit के मद में परामर्शी के विपन्न से नियमानुकूल कटौती की जायेगी। साथ ही विपन्नों के भुगतान के समय नियमानुसार अन्य कटौतियाँ की जायेगी। vii) विभाग अंतर्गत सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से निविदा के माध्यम से कराये गये कार्यों की सूची के साथ-साथ प्रमंडलों के अधीन निविदा से संबंधित कार्य का लंबित VAT Claim की सूची भी परामर्शी को उपलब्ध करायेंगे।

viii) सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा परामर्शी के माध्यम से मासिक GST Return ससमय दाखिल किया जायेगा।

ix) पिछले चालू लेखा विपत्रों का ठेकेदारों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के भुगतान का सत्यापन करने के पश्चात् ही अगले चालू लेखा विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

x) सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता अपने कार्यालय का GST Portal के संबंध में आवश्यक सूचना अपने स्तर से परामर्शी को उपलब्ध करार्येगे।

xi) कार्यपालक अभियंताओं द्वारा आवश्यकतानुसार परामर्शी से निम्नलिखित पते पर पत्राचार/ संपर्क किया जायेगा :--

Head Office :- ABV COMPANY, CHARTERED ACCOUNTANTS 21/169, Unnat Nagar No.-4, Near Jain Hospital, M.G Road Goregaon (W), Mumbai-400090

Regional Office (Bihar) :- 57/A3, Patlipurta Housing Construction society, PP Colony, Opp- Budha Heritage Hotel, Patliputra, Bihar-800013

Mobile:8692953399/ 8693013399,

E-mail: info@abvca.com/anuj@abvca.com/ ankit@abvca.com

xii) संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) द्वारा विभाग अंतर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की पूर्ण विवरणी परामर्शी को उपलब्ध कराया जायेगा।

xiii) GST परामर्शी GST Web APP का भी उपयोग अपने कार्यो के निष्पादन में करेंगे।

5.

उक्त पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 1/PMC/विविध/110/2021-पार्ट-III - 272 पटना, दिनांक- ...२.५.०.३/२०२५

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, पटना/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, पटना/ अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना/ सभी मुख्य अभियंता (वाल्मी सहित), जल संसाधन विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/ निदेशक, क्रय भण्डार एवं समग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आलोक र्कुमार) संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 1/PMC/विविध/110/2021-पार्ट-III- २२२२ पटना, दिनांक- २२२०२५ प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/4/बाढ़ नियंत्रण/सिंचाई,

पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

12503125

हेत् प्रेषित।

2011년 1월 1912년 1월 19 1912년 1월 1912

103 (आलोक कुमार)

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ज्ञापांक- 1/PMC/विविध/110/2021-पार्ट-III - २-२२, पटना, दिनांक-प्रतिलिपि :- प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)